उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14–अशोक मार्ग शक्ति भवन (वि0),
लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com
Website-www.uppst.org

पत्र सं0: /56/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/ख0अ0/2020 दिनांक :– 10/11/2020

परिपत्र

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय ज्ञाप सं0 1915–पी एण्ड आर–28/पाकालि/2002– 8 काविनी/2001 दिनांक– जून 06, 2003 (संलग्न) एवं निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1274– पी0 एण्ड आर/28/पाकालि/ 2004 –8– का0वि0नी0/01 दिनांक– जून 18, 2004 (संलग्न) द्वारा दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू की गई थी।

उक्त के दृष्टिगत दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी कम्पनियों, केस्कों की सेवा में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यह अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि नियमावली, 2004 में निहित प्राविधान के अनुसार अधीनस्थ तैनात कर्मचारियों के वेतन से सी0पी0एफ0 अंशदान की कटौती करना सुनिश्चित करें तथा जिन कर्मचारियों के अभी तक सी0पी0एफ0 खाता संख्या नहीं आवंटित है, उन्हें यथाशीघ्र आंवटित कराये जाने हेतु आवेदन पत्र ट्रस्ट कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संलग्नकों सहित प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खाता आवंटित किये जा सकें, तथा उनका अंशदान उनके खातें में जमा हो सकें।

अग्रेतर नये भर्ती कार्मिकों को कारपोरेशन की सेवाओं में आने पर शीघ्रातिशीघ्र सी0पी0एफ0 खाता संख्या आंवटित कराने हेतु कार्यवाही प्राथमिकता पर करें। नये भर्ती कार्मिकों एवं जिन कार्मिकों का सी0पी0एफ0 खाता सख्या अभी तक आंवटित नहीं कराया जा सका है उनके सी0पी0एफ0 खाता आवंटन का उत्तरदायित्व उनके आहरण एव वितरण अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी का होगा।

संलग्नकः– यथापरोक्त।

अविनाश चन्द्र पाण्डेय
सचिव (ट्रस्ट)

पत्रांक सं0:844/56/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/खा0आ0/तद्दिनांकः–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0पा0का0लि0 के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणासी/ मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणासी/ मेरठ/आगरा।
7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर।
8. उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, पारेषण (मध्य)/पारेषण (उत्तर–पूर्व)/पारेषण (दक्षिण–पूर्व)/पारेषण (पश्चिम)/पारेषण (दक्षिण–मध्य)/पारेषण (दक्षिण–पश्चिम), लखनऊ/गोरखपुर/मेरठ/झांसी/आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जिन कर्मचारियों के अभी तक सी0पी0एफ0 खाता संख्या नहीं आवंटित है उन्हें यथाशीघ्र आंवटित कराये जाने हेतु आवेदन पत्र ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खाता आवंटित किये जा सकें, तथा उनका अंशदान उनके खातें में जमा हो सकें।
10. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जिन कर्मचारियों के अभी तक सी0पी0एफ0 खाता संख्या नहीं आवंटित है उन्हें यथाशीघ्र आंवटित कराये जाने हेतु आवेदन पत्र ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खाता आवंटित किये जा सकें, तथा उनका अंशदान उनके खातें में जमा हो सकें।
11. उपसचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(अविनाश चन्द्र पाण्डेय)
सचिव (ट्रस्ट)

आवश्यक कार्यालय ज्ञाप

1. 1915 – पी एण्ड आर-28/पाकालि/04-8 का.वि.नी./01 दिनांक 6.6.2003
2. 1274 – पी एण्ड आर / 28/ पाकालि/2004 – 8 का.वि.नी./01 दिनांक – 18-6-2004

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या:1915 – पी एण्ड आर-28/पाकालि/2002-8 काविनी/2001 दिनांक 6 जून, 2003

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश संख्या 615-पी एण्ड आर/28/पाकालि/2002-8-का0वि0नी0/दिनांक 22.2.2002 द्वारा यह आदेशित किया गया था कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में 14.1.2000 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर सामान्य भविष्य निधि योजना एवं यू० पी० रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 तथा न्यू फेमिली पेंशन स्कीम 1965 के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवम् तत्संबंधी प्राविधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कानपुर द्वारा इस संबंध में अवगत करायी गई कठिनाइयों के कारण उक्त व्यवस्था अभी तक उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में व्यावहारिक रूप से लागू नहीं की जा सकी है।

2. उपरोक्त प्रस्तर -1 में वर्णित परिस्थिति में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अनु0) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कानपुर के पत्र संख्या - 1618- दिनांक 23.4.2002 पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 14.1.2000 के पश्चात कारपोरेशन में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि नियम 1962 के अन्तर्गत कटौती की व्यवस्था निम्न प्रकार से सुनिश्चित की जाये-

   (I) उ0 प्र0 पावर कारापोरेशन लि0 में 14-1-2000 के पश्चात नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित होंगे। अधिकारी/कर्मचारी के अंशदान के रूप में उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत तथा नियोक्ता के अंशदान के रूप में मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान नियमित रूप से जमा कराया जायेगा।

   (II) अंशदायी भविष्य निधि के रूप में प्राप्त होने वाला अंशदान सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, जापलिंग रोड शाखा, लखनऊ में कारपोरेशन के निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवम् कम्पनी सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होने वाले अंशदायी भविष्य निधि नाम से परिचालनीय/बचत खाते में जमा किया जायेगा।

   (III) 14.1.2000 के पश्चात नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित कार्मिक का अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान उक्त खाते में तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त अंशदान का रख-रखाव, खाता संख्या, आवंटन, लेखापर्ची, निर्गमन इत्यादि समस्त कार्य कारपोरेशन के कम्पनी सचिव के अधीन नवसृजित इकाई द्वारा अंशदायी भविष्य निधि नियम 1962 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

4. उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृ०प०उ०

संख्या : 1915 - पी एण्ड आर-28/पाकालि/2002-8 का.वि.नी./2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव,ऊर्जा, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निधि भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/समस्त महाप्रबंधक(वितरण)/पारेषण/लेखा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. मुख्य अभियंता (जल-विद्युत) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. अध्यक्ष, निधि प्रबंध, उ0 प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महानिदेशक (इक्वेटर)/पी0पी0ए0/एच0आर0डी0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11. महाप्रबंधक-का0प्र0 I/II/III/औद्योगिक संबंध, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
13. महाप्रबंधक (जांच समिति-I/II) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
14. समस्त उप महाप्रबंधक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
19. समस्त अधिकारी/अनुभाग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103,-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर, भुइयन, 22-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
21. बैठक सहायक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को दिनांक 31.12.2002 को उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मंडल की हुई बैठक में पारित प्रस्ताव-पैंतीस (22/2002) के संदर्भ में।

आज्ञा से,
ह0/-
(ईश्वर लाल)
महाप्रबंधक (कार्मिक प्रबंध-3)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन

लखनऊ।

संख्या : 1274 - पी एण्ड आर / 28/ पाकालि/2004 - 8 का.वि.नी./01 दिनांक - जून 18, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू किये जाने विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1915 पीएण्डआर-28/पाकालि/04-8काविनी/01 दिनांक 06.06.2003 के तारतम्य में निम्नलिखित आदेश जारी किये जा रहे हैं :-

(क) दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड रूल्स, 2004 (जिसकी प्रति अलग से भेजी जा रही है) दिनांक 01.04.2004 से लागू होंगे।

(ख) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फन्ड रूल्स, 2004 दिनांक 01.04.2004 से इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमोदित है कि यदि कोई कार्मिक 01.04.2004 के पूर्व की अवधि (सेवा में आने के पश्चात्) का अंशदान जमा करने का इच्छुक है तो नियोक्ता अंशदान केवल प्राविधानित सीमा तक जमा किया जायेगा।

(ग) दिनांक 14.01.2000 के पश्चात नियुक्त समस्त कार्मिकों का उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स, 2004 का अंशदान नियम 30 के प्राविधानों के अनुसार माह अप्रैल, 2004 से देय होगा। नियोक्ता अंशदान नियम 32 के प्राविधान के अनुसार किया जायेगा। वर्तमान में कार्मिकों का अंशदान मूल वेतन का न्यूनतम 10 प्रतिशत है। समान दर पर नियोक्ता का अंशदान पावर कारपोरेशन द्वारा ट्रस्ट को भुगतान किया जायेगा।

(घ) सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम/पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अंशदानों की सम्पूर्ण धनराशि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को अगले माह की 7 तारीख तक सचिव ट्रस्ट, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अंशदायी भविष्य निधि के नाम ड्राफ्ट, जोकि लखनऊ को देय हो, के द्वारा किया जायेगा। विद्युत वितरण निगम/पावर कारपोरेशन लि0 बैंक ड्राफ्ट के साथ कर्मचारी का सम्पूर्ण विवरण यथा नाम, पिता का नाम, पदनाम, खाता संख्या (जो कि ट्रस्ट द्वारा आवंटित किया जायेगा), मूल वेतन, कार्मिक का अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान आदि स्पष्ट रूप से उल्लेख कर ट्रस्ट को उपलब्ध करेंगे। बैंक ड्राफ्ट पर यदि कोई कमीशन देय है तो वह देय कमीशन धनराशि सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम/पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। अंशदानों की गणना हेतु आहरण-वितरण अधिकारी समस्त वांछित विवरण क्षेत्रीय लेखा कार्यालय से सत्यापित

कराके विद्युत वितरण निगम/पावर कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायेंगे।

(ड.) यद्यपि यह योजना 01.04.2004 से लागू है परन्तु यदि किसी कार्मिक द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1915-पीएण्डआर-28/पाकालि/04-8काविनी/01 दिनांक 06.06.2003 के पश्चात् अपने अंशदान की कटौती प्रारम्भ की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में, आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध होने पर, कार्मिक को उसी माह से योजना का सदस्य माना जायेगा जिस माह से उसका अंशदान प्रारम्भ हुआ है तथा इस पर नियमानुसार नियोक्ता का अंशदान भी देय होगा।

(च) प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड रूल्स 2004 में प्राविधानित 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त समस्त कार्मिकों से फार्म "ए" फार्म "बी" तथा फार्म 40ए पूर्ण करवा कर सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड रूल्स, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि कार्मिकों को कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड खाता संख्या आवंटित एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(छ) आमेलन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों की आपसी सहमति पर ट्रस्ट द्वारा उनके कार्मिक के कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फन्ड के रख-रखाव का कार्य भी किया जाता रहेगा।

(ज) इस अंशदायी योजना की लेखांकन-प्रक्रिया के आदेश महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) द्वारा अलग से निर्गत किये जायेंगे।

(झ) ट्रस्ट के समस्त व्यय का भुगतान केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0 प्र0 पावर कारपोरेश लि0, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा।

कारपोरेशन के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि उपरोक्त आदेशों को 14.01.2000 के बाद नियुक्त समस्त कार्मिकों को भलीभाँति अवगत कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

ह0/-

(एस0 सी0 गोविल)

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या 1274-(1)पीएण्डआर/28/पाकालि/2004-8काविनी/01तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 पूर्वांचल, वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 मध्यांचल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 दक्षिणांचल, आगरा।
8. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0 पश्चिमांचल, मेरठ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, 4-विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महा प्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पाकालि।
11. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पाकालि।
12. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे इस अंशदायी योजना की लेखांकन प्रक्रिया का आदेश अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करें।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
15. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
18. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
19. मुख्य प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, जापलिंग रोड, लखनऊ।
20. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ0 प्र0, 103 कीर्ती शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइइयन, 22 आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह०/-

(कु० सै० निगहत आरा हसन)
महाप्रबन्धक (का०प्र०-III)